

पंजीयन क्रमांक 1846/2019

दिनांक 23.01.2019

डिप्लोमा नं. 3931

दिनांक 23.01.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री देवीकोट गौशाला देवीकोट
ग्राम देवीकोट पोस्ट देवीकोट
तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री अब्दुला खान (अध्यक्ष) व्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री देवीकोट गौशाला देवीकोट ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद में संतुष्ट हो गया है।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक तेईस माह जनवरी वर्ष दो हजार उन्नीस



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL



राजस्थान RAJASTHAN

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप

मैं अब्दुल खान पुत्र श्री लालू खान उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर का निवासी हूँ एवं देवीकोट गोशाला, देवीकोट का अध्यक्ष हूँ मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

- 1- मेरी संस्था का नाम देवीकोट गोशाला, देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर एव संस्था का पंजीयन संख्या 1846/2019 यह है।
- 2- मेरी पशुशिविर के संचालन का स्थान देवीकोट तहसील का नाम फतेहगढ़ जिल का नाम जैसलमेर यह है एवं वर्तमान में देवीकोट गोशाला में संचालित की जा रही है।
- 3- मेरे घोषित पशु शिविर में वर्तमान में अनाथ अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये 270 बड़े 50 छोटे कुल 320 पशु संचारित हैं।
- 4- मुझे ज्ञात है कि जिला कलेक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।
- 5- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बनाई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- मैं पशु शिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
- 7- जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।
- 8- यह है कि मेरे द्वारा पशु शिविर देवीकोट में संचालित की जायेगी।

SIGNATURE/TH. ATTESTED
(SAWAI SINGH)
NOTARY JAIPALMER

मैं अब्दुल खान पुत्र श्री लालू खान उम्र 50 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम देवीकोट तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 8 तक दिया गया विवरण सत्य है।

SIGNATURE/TH. ATTESTED
(SAWAI SINGH)
NOTARY JAIPALMER